



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092020-221865
CG-DL-E-22092020-221865

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2865]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2020/भाद्र 31, 1942

No. 2865]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2020/BHADRA 31, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

का.आ. 3213(अ).—केंद्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों की सहमति से, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) के अधीन गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी में निरीक्षक पद के अधिकारियों को उनकी अधिकारिता के क्षेत्रों के भीतर, धारा 53 (1) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त करती है।

[फा.सं. एन/11011/04/2019-एनसी-II]

विश्वजीत सरकार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2020

S.O. 3213 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby invests the officers of and above the rank of inspectors in the National Investigation Agency constituted under the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) to exercise the powers and perform duties specified in sub-section (1) of that section, within the area of their jurisdiction.

[F. No. N/11011/04/2019-NC-II]

BISWAJIT SARKAR, Under Secy.